



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 300 / SEIAA/2022

Date: 29/4/22

प्रति,

श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी,  
निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 8992/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303/1, ग्राम पनगड़ीकंला, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 719 वी बैठक दिनांक 21.04.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 710वीं बैठक दिनांक 08.03.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 40 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्राकृतिक नाला, मानव बसाहट एवं रोड़ नहीं होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला, दक्षिण पश्चिम दिशा में मानव बसाहट एवं दक्षिण दिशा में लीज क्षेत्र से लगा हुआ पक्का रोड़ परिलक्षित है एवं दो खदानों के अतिरिक्त अन्य खदाने भी परिलक्षित हो रही है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा जिला कलेक्टर रीवा से 500 मीटर की परिधि में स्थित मानव बसाहट, रोड़ एवं अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार कलेक्टर रीवा से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)

सदस्य सचिव

पृ.क्र. 301 /SEIAA/2022

दिनांक - 29/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी